भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3045

13 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

उन्नत नैदानिक और अनुसंधान केंद्र

3045.श्री धर्मबीर सिंहः

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में उन्नत नैदानिक और अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित करने के इच्छुक शोधकर्ताओं, संकाय सदस्यों और चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए अनुदानों, सरकारी कार्यक्रमों या सरकारी-निजी भागीदारी सहित निधियन के अवसरों की व्यापक सूची उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अनुसंधानकर्ताओं अथवा चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए इस निधियन हेतु आवेदन करने और प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों, आवेदन प्रक्रियाओं, आवश्यक प्रलेखन और अनुमोदन हेतु प्रत्याशित समय-सीमा का ब्यौरा देते हुए कोई विशिष्ट प्रक्रिया उल्लिखित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निधियन की निगरानी और सुविधा प्रदान करने के लिए किसी विशेष एजेंसी या विभाग को नामित किया गया है और यदि हां, तो अपनी अनुसंधान और नैदानिक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से संस्थानों को दी गई सहायता या मार्गदर्शन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीमित अवसंरचना वाले चिकित्सा महाविद्यालयों के निधियन को प्राथमिकता देने और इनकी स्थापना के लिए संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): (i) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR) ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 324 करोड़ रुपये की लागत से प्रौन्नत वायरल अनुसंधान एवं नैदानिक प्रयोगशालाओं (VRDLs) की स्थापना करके महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के लिए भारत की तैयारियों और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए महामारी और राष्ट्रीय आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्रयोगशालाओं का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की है। उक्त योजना के तहत विभिन्न चिकित्सा

महाविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थाओं में कुल 163 वायरल अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाओं को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। 163 वीआरडीएल में से 11 को क्षेत्रीय दर्जा प्राप्त है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व के उच्च जोखिम वाले संक्रामक रोगजनकों का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक जैव सुरक्षा स्तर-3 (BSL-3) की सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, सेना चिकित्सा अस्पताल और चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले अन्य स्वास्थ्य निकायों जैसे रेलवे अस्पताल और आयुष अस्पताल सहित सभी प्रतिष्ठित केंद्रीय सरकारी चिकित्सा/अनुसंधान संस्थान वीआरडीएल की स्थापना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। संस्थानों को https://dhr.gov.in/schemes/establishment-network-laboratories-managing-epidemics-and-natural-calamities पर उपलब्ध योजना दिशानिर्देशों में उल्लिखित मापदंडों को पूरा करना होगा। दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदनों को वित्त पोषण के लिए संसाधित किया जाता है।

ii. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने सूचित किया है कि वह अपने इंट्राम्यूरल अनुदान कार्यक्रम के माध्यम से आईसीएमआर संस्थानों में काम करने वाले विभिन्न शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और आईसीएमआर संस्थानों के बाहर के लोगों को एक्स्ट्राम्यूरल अनुदान कार्यक्रम के माध्यम से चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और संबद्ध विषयों के क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

तीन प्रकार के एक्स्ट्राम्यूरल अनुसंधान अनुदानों में लघु अनुदान, मध्यवर्ती अनुदान और उन्नत अनुसंधान केंद्र शामिल हैं।

इनके अलावा, आईसीएमआर ने अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता कार्यक्रम के माध्यम से पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में देश के विभिन्न हिस्सों में बहु-केंद्रित परियोजनाएं संचालित की हैं।

शोधकर्ताओं, संकाय सदस्यों और मेडिकल कॉलेजों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, और परियोजनाओं का चयन और वित्त पोषण आईसीएमआर वेबसाइट पर उपलब्ध कार्यक्रम दिशानिर्देशों में निर्धारित संबंधित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

(iii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचित किया है कि वे अनुसंधान संसाधन सेवा सुविधा और मंच (RRSFP) के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढ़ांचे का समर्थन करता है, जो 2 प्रमुख शाखाओं के माध्यम से संचालित होता है:

• शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय (DBT-BUILDER) के अंतःविषय जीवन विज्ञान विभागों को बढ़ावा देना - प्रौन्नत अंतःविषय अनुसंधान और शिक्षण को सक्षम बनाते हुए स्नातकोत्तर शिक्षण और प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करना।

• अकादमिक विश्वविद्यालय अनुसंधान संयुक्त सहयोग (DBT-SAHAJ) के लिए वैज्ञानिक बुनियादी ढ़ांचे तक पहुंचना - डीबीटी वेबसाइट पर सहज पोर्टल डीबीटी द्वारा समर्थित और स्थापित सभी सुविधाओं की जानकारी को एकल विंडो के अंतर्गत समेकित करता है, जिससे संभावित उपयोगकर्ता/व्यक्ति इन सुविधाओं तक पहुंच पाते हैं।

(iv) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बताया है कि उसका बायोमेडिकल डिवाइस एवं प्रौद्योगिकी विकास (BDTD) कार्यक्रम वैश्विक मानकों के अनुसार अभिनव उत्पाद विकसित करने के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग की अनुसंधान एवं विकास आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा अनुप्रयोगों के लिए स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक, सर्जिकल और जीवन रक्षक उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करता है और पर्याप्त बुनियादी ढांचे/सुविधाओं वाले शैक्षणिक संस्थानों/ अनुसंधान एवं विकास संस्थानों/प्रयोगशालाओं में काम करने वाले वैज्ञानिकों/इंजीनियरों/प्रौद्योगिकीविदों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। बीडीटीडी के तहत बायोमेडिकल हब प्रोटोटाइप विकास, प्रौद्योगिकी अप-स्केलिंग और बाजार सत्यापन, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और व्यावसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं।

*****